

18/01/22  
पत्रावली पेश हुनी। प्राथमिक व वकील प्राथमिक  
अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगावानी गयी।  
आवाज लगावने के उपरान्त भी प्राथमिक की ओर  
से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्राथमिक  
का प्राथमिक पत्र अदालत हाजरी अदालत पैरवी में  
स्वारीज किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल शुद्ध  
होकर नम्बर ले कर होकर दफ्तर दाखिल  
है।



(वृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

